संख्या–भा0स0–14 / 14–2–2017–800 (167) / 2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनुसचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

**वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2** **लखनऊ, दिनांक 27 जनवरी, 2017**

विषयः– एस्सार ऑयल लि0 वाराणसी द्वारा इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (एस0एच0–07) के किमी0 संख्या–113 से 114 के मध्य खाता / खतौनी न0 702 ग्राम निजामपुर थाना शाहगंज तहसील शाहगंज जनपद जौनपुर में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.0750 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 08 / 2017 / एफसी / 107, दिनांक 19–01–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 09 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण का संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– विषयगत प्रस्ताव की 02 प्रतियों को प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 19–01–2017 में उल्लिखित 09 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नकः– यथोपरि 02प्रस्ताव।**

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।